कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भिवाडी

खुली बिक्री योजना

योजना की प्रारम्भ तिथि **10.12.2015**

आवासीय योजना सैक्टर 4 व 7 भिवाडी में पूर्व पंजीकृत एंव नए आवेदकों के लिए किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की अन्तिम तिथि **31.03.2016**

फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्राप्त किए जाकर उसी दिन सांय 04.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर/ लॉटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

1. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध बहुमंजिले आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	लागत	निर्मित क्षेत्रफल (व. मी.)	फ्लेट संख्या
EWS (G+2) Sect 4 & 7, Bhiwadi					
1	EWS (GF)	01	568800.00	25.18	4-C-34
2	EWS (FF)	01	477900.00	25.18	7-B-47
3	EWS (SF)	02	432400.00	25.18	4-A-52, 7-C-48
MIG-A (G+3) Flats Sect 4 & 7, Bhiwadi					
4	MIG-A (TF)	02	1947500.00	71.00	4D/TF/20, 4H/TF/22

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मंडल
खण्ड भिवाडी

2. आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण:–

क्र. सं.	आय वर्ग	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रूपयें में)				
		पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल राशि	सेवाकर	कुल देय राशि
1	EWS	7000.00	5000.00	12000.00	435.00	12435.00
2	MIG-A	50000.00	40000.00	90000.00	3263.00	93263.00

नोट :–

1. आवास/फ्लेट का आवंटन "जहां है जैसा है" की अवस्था में किया जावेगा।
2. इस योजना की अन्य शर्तें आवेदन पुस्तिका में देखी जा सकती है।

–:सम्पर्क सूत्र:–

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल
आशियाना ग्रीन के सामने, भिवाडी
दूरभाष नम्बर :– 01493–230484

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मंडल
खण्ड भिवाडी

नियम एंव शर्तें

01. इस योजना के आवेदन फार्म आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाडी के कार्यालय से राशि रू. 300.00 नकद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दिवस तथा तदपश्चात के दिवसों को उपलब्ध सूची , योजना के नक्शे, अन्य शर्तें खण्ड भिवाडी के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

02. इस योजना के अन्तर्गत आवासों की उपलब्धता के आधार पर आवासो की संख्या घटज–बढत की जा सकती है। आवास "जहाँ है, जैसे हैं" की स्थिति में आवंटित किए जावेंगे।

03. इस योजना में आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक दिवस को अपरान्ह 3.00 बजे तक आवश्यक प्रमाण पत्र एंव आय वर्गानुसार निर्धारित राशि का ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल भिवाडी के पक्ष में देय हो के साथ खण्ड कार्यालय भिवाडी में जमा कराए जा सकेंगें।

04. प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त होने वाले आवेदनों में से आवास का आवंटन उसी दिन सांयकाल 4.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर/लॉटरी निकाल कर किया जावेगा। यह लॉटरी खण्ड कार्यालय भिवाडी में निकाली जावेगी। वरीयता का निर्धारण बिन्दु संख्या 14 के अनुसार किया जावेगा।

05. इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवास न मिलने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराया गया मूल ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जावेगा। आवेदक स्वंय खण्ड कार्यालय भिवाडी से अपना मूल ड्राफ्ट व्यक्तिशः प्राप्त कर सकते हैं।

06. आवेदक इच्छानुसार आवास क्रय करने हेतु आवेदन पत्र में वरीयतानुसार तीन आवासों के नम्बर विकल्प स्वरूप अंकित कर सकता है।

07. इच्छित आवास न मिलने की स्थिति में जमा कराई गई राशि का ड्राफ्ट अगले दिन किसी अन्य विकल्प हेतु वैध रहेगा तथा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा या ड्राफ्ट वापस प्राप्त कर सकेगा।

08. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा पूर्व में जमा राशि का समायोजन आवंटन के उपरान्त कब्जे से पूर्व देय एक मुश्त राशि में किया जा सकेगा। पूर्व में पंजीकृत आवेदक को संलग्न प्रारूपानुसार प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे अपने पंजीकरण पत्र मण्डल द्वारा पूर्व में कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है तथा ना ही पंजीकरण के पेटे जमा राशि वापस ली गई है अथवा पंजीकरण निरस्त नहीं हुआ है। यदि इसमें कोई तथ्य गलत पाया गया तो आवास का वर्तमान आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

09. आवेदकों को संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर आय सम्बंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के पति/पत्नी को अलग से आय सम्बंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. आवास की भूमि 99 वर्ष की लीज पर होगी तथा आवंटी को लीज की राशि दो अर्द्धवार्षिक किश्तों में प्रति वर्ष जनवरी एंव जुलाई में मण्डल नियमानुसार निर्धारित समयावधि में जमा करानी होगी। 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कर भविष्य की लीज राशि की किश्तों से मुक्त हो सकते हैं।

11. आवंटन निरस्तिकरण पर जमा राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जावेगी एंव किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

12. किराया क्रय पद्धति विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन उपरान्त कब्जे से पूर्व (एक मुश्त) राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में जमा करानी होगी। आवंटन उपरान्त कब्जे से पूर्व कुल देय राशि मकान की कुल कीमत का लगभग 25 प्रतिशत होगा तथा नकद भुगतान पद्धति वाले आवेदकों को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मंडल

13. कोई भी आवेदक अपने आय वर्ग से एक श्रेणी ऊपर के आवास के लिए या एक श्रेणी नीचे के आवास के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उससें ऊपर वाले आय वर्ग की पंजीकरण एंव पूर्वग्रहण राशि जमा करवानी होगी। उदाहरण के तौर पर मध्यम आय वर्ग 'अ' की श्रेणी वाला आवेदक यदि मध्यम आय वर्ग 'ब' के आवास हेतु विकल्प देता है तो मध्यम आय वर्ग 'ब' की पंजीकरण एंव पूर्वग्रहण की निर्धारित राशि जमा करायेगा। यदि वह वह अल्प आय वर्ग आवास हेतु आवेदन करता हे तो उसे मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु निर्धारित राशि जमा करवानी होगी।

14. एक ही आवास के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्न वर्णित वरीयता के आधार पर आवंटन किया जावेगा :—

1. भिवाडी शहर के नकद भुगता पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
2. भिवाडी शहर के किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
3. नए नगद भुगतान पद्धति के आवेदक।
4. नए किराया क्रय पद्धति के आवेदक

15. प्रथम बार में प्रथम विकल्प के आधार पर आवेदक को आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। उस दिन के सभी आवेदकों को प्रथम विकल्प पूर्ण होने के पश्चात् अगर आवास अवशेष रहता है तो उसी स्थिति में द्वितीय विकल्प पर विचार किया जा सकेगा व उपरोक्त वर्णित विकल्प के अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार सभी आवेदकों के द्वितीय विकल्प के अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। सभी आवेदकों के द्वितीय विकल्प के अनुसार आवंटन की कार्यवाही पूर्ण होने पर यदि आवास अवशेष रहता है तो तृतीय विकल्प के आधार पर आवंटन प्रक्रिया चालू रखी जावेगी।

16. यदि इस योजना में कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक आवास प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी पत्रावली मूल वरीयतानुसार भविष्य आवंटन हेतु रख दी जावेगी।

17. पूर्व पंजीकृत आवेदक को आवंटित आवास अस्थाई रूप से प्रस्तावित माना जावेगा। मूल पंजीकरण पत्रावली के साथ आवेदन पत्र की जांच के पश्चात ही आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।

18. आवेदन पत्र एंव पासपोर्ट साईज की फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर जमा करवाना होगा।

19. पूर्व पंजीकृत आवेदक जिनका पूर्व में आवंटन होने के पश्चात पंजीकरण एंव निरस्त किया जा चुका है एंव उन्होने पंजीकरण राशि मण्डल से लेने हेतु प्रार्थना पत्र एंव अग्रिम रसीद एंव मूल चालान जमा नहीं कराए हैं वे पूर्व पंजीकृत आवेदक नहीं माने जायेगें।

20. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की नियमानुसार कमी पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

21. आवेदन पत्र में आवासों की दर्शाई गई लागत के अतिरिक्त कोने के आवास हेतु अतिरिक्त लागत व कोने के आवास के खर्चे मण्डल नियमानुसार देय होगें इसके अतिरिक्त लीज, एन्सलरी चार्जेज, सेवाकर व अन्य विविध खर्चे मण्डल नियमानुसार देय होगें।

22. आवेदक को आवेदन पत्र की मांग राशि जमा कराने के बाद चालान की तृतीय प्रति एंव मण्डल नियमानुसार कब्जे सम्बंधी प्रपत्र प्रमाणित करवाकर खण्ड कार्यालय भिवाडी में प्रस्तुत करने होगें, तत्पश्चात् ही मकान का कब्जा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मंडल
खण्ड भिवाडी